अनुसूची
लिखतों पर स्टाम्प शुल्क.
(धारा 3 देखिए)

	लिखतों का वर्णन	उचित स्टाम्प शुल्क
	(1)	(2)
1.	**अभिस्वीकृति** किसी ऋण की रकम या मूल्य में *पांच हजार रूपये* से अधिक की जो ऋणी द्वारा या उसकी ओर से किसी बही में (जो बैंककार की पास–बुक से भिन्न है) या किसी पृथक कागज के टुकड़े पर लिखी जाये या हस्ताक्षरित की जाए, जबकि ऐसी बही या कागज लेनदार के कब्जे में छोड़ दिया गया हो;	*दस रूपये.*
2.	**प्रशासन बंध–पत्र,** जिसके अंतर्गत भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (1925 का 39) की धारा 291, 375 और 376 तथा गर्वमेंट सेविंग्स बेंक एक्ट 1873 (1873 का 5) की धारा 6 के अधीन दिया गया बंध–पत्र;	वही शुल्क जो ऐसी रकम के लिए बंध–पत्र (क्र. 12) पर लगता है.
3.	**दत्तक विलेख**, अर्थात् कोई लिखत (वसीयत से भिन्न) जो दत्तक–ग्रहण के अभिलेख स्वरूप है या दत्तक–ग्रहरण के लिए प्राधिकार प्रदत्त करती है या प्रदत्त करने के लिए तात्पर्यित है;	पांच सौ रूपये.
4.	**शपथ–पत्र,** अर्थात् लिखत में किया गया कोई कथन जो तथ्यों के कथन के लिये तात्पर्यित है जो कथन करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित है और जिसकी पुष्टि उसके द्वारा शपथ पर या उन व्यक्तियों के मामले में जिन्हें विधि द्वारा घोषणा करने के लिए अनुज्ञात किया गया है, प्रतिज्ञान द्वारा की गई है, *किन्तु जो अनुच्छेद 56 के अधीन ऐसी घोषणा नहीं है ;*	दस रूपये.
	छूटें :–	
	लिखित रूप में शपथ–पत्र या घोषणा जबकि वह :–	
	(क) सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 46) नौसेना अधिनियम, 1957 (1957 का 62) या वायुसेवा अधिनियम, 1950 (1950 का 45) के अधीन भर्ती होने के लिए शर्त के रूप में;	
	(ख) किसी न्यायालय मे या किसी न्यायालय के अधिकारी के समक्ष फाईल किये जाने या उपयोग में लाए जाने के एकमात्र प्रयोजन के लिए';	

(ग) किसी व्यक्ति को कोई पेंशन या पुण्यार्थ भत्ता प्राप्त करने के लिए समर्थ बनाने के एकमात्र प्रयोजन के लिए;

की गई है;

5. **करार या करार का ज्ञापन –**

(क) यदि वह विनिमय–पत्र के विक्रय से संबंधित है;	प्रत्येक 10,000 रूपये या उसके भाग के लिए एक रूपया.
(ख)(एक)यदि वह सरकारी प्रतिभूति के क्रय या विक्रय से संबंधित है.	अधिकतम एक हजार रूपये के अध्यधीन रहते हुए प्रतिभूति के यथास्थिति, क्रय या विक्रय के समय उसके मूल्य के प्रत्येक 10,000 रूपये या उसके भाग के लिए एक रूपया.
(दो) यदि वह किसी निगमित कंपनी या अन्य निगमित निकाय में के शेयर, स्क्रिप, बंध–पत्र, डिबेंचर, डिबेन्चर–स्टाक या इसी प्रकार की विपण्य प्रतिभूति के क्रय या विक्रय से संबंधित है.	प्रतिभूति के, यथास्थिति क्रय या विक्रय के समय उसके मूल्य के प्रत्येक 10,000 रूपये या उसके भाग के लिए एक रूपया.
(ग) यदि वह किसी विनिर्माता या किसी कारबार, व्यवहार ज्ञान, ब्रांड नाम, व्यापार चिन्ह (ट्रेड मार्क) या इसी प्रकार के किसी अन्य कारबार के स्वामी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे विनिर्माता या कारबार के स्वामी के व्यवहार ज्ञान, ब्रांड नाम, व्यापार चिन्ह (ट्रेड मार्क) आदि का उपयोग करते हुए कारबार या अन्य क्रियाकलाप करने की दी गई अनुज्ञा से संबंधित है, अर्थात् फ्रेंचाईज करार है.	दस हजार रूपये.
(घ) यदि वह ऐसी भूमि के स्वामी या पट्टेदार से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा *भूमि के विकास या* उस भूमि पर भवन के निर्माण से संबंधित है –	
(एक) जब उसमें यह अनुबंध हो कि निर्माण के पश्चात् ऐसा भवन यथास्थिति, उस अन्य व्यक्ति तथा भूमि के स्वामी या पट्टेदार द्वारा संयुक्ततः या पृथकतः धारित किया जायेगा या यह कि ऐसे भवन का उनके द्वारा संयुक्ततः या पृथकतः विक्रय किया जायेगा या यह कि इसका एक भाग उनके द्वारा संयुक्ततः या पृथकतः धारित	*ऐसी भूमि के बाजार मूल्य के दो प्रतिशत.*

किया जायेगा तथा उसका शेष भाग उनके द्वारा संयुक्ततः या पृथकतः विक्रय किया जायेगा;

(दो) जहां ऐसा अनुबंध न हो, अर्थात् यह शुद्धतः निर्माण या विकास का अनुबंध–पत्र हो;

अनुबंध–पत्र में यथा वर्णित प्रस्तावित निर्माण या विकास के प्राक्कलित व्यय के बराबर बाजार मूल्य पर दो प्रतिशत.

(ङ) यदि किसी विनिधानकर्ता द्वारा किसी विकासकर्ता से किसी स्कीम या परियोजना में एक या अधिक ईकाईयों के क्रय से संबंधित हो.

वही शुल्क जो संपत्ति के बाजार मूल्य के लिये हस्तांतरण–पत्र (क्र.22) पर लगता है:

परन्तु विनिधानकर्ता द्वारा इस उपखण्ड के अंतर्गत अनुबंध–पत्र के अधीन सम्पत्ति के किसी पश्चात्वर्ती क्रेता के हस्तांतरण पर, इस खण्ड के अधीन प्रत्येक ईकाई पर प्रभार्य शुल्क एक सौ रूपये अतिशेष रखते हुए, अनुच्छेद 22 के अधीन प्रभार्य शुल्क के विरूद्ध समायोजित किया जायेगा, यदि ऐसा अंतरण या समनुदेशन अनुबंध–पत्र की तारीख के तीन वर्ष की अवधि के भीतर किया जाता है। यदि समायोजन पर, कोई शुल्क संदाय किया जाना अपेक्षित नहीं हो, तो हस्तांतरण–पत्र के लिये न्यूनतम शुल्क एक हजार रूपये होगा ।

(च) यदि वह स्थावर संपत्ति के भाड़ाक्रय से संबंधित हो.

पांच सौ रूपये.

(छ) यदि किसी उधार या ऋण के पुनर्भुगतान को, प्रतिभूत करने से संबंधित हो.

अधिकतम पचास हजार रूपये के अध्यधीन रहते हुए उधार या ऋण की रकम का 0.5 प्रतिशतः

परन्तु यह कि ऐसे अनुबंध–पत्र पर संदत्त शुल्क ऐसे अनुबंध–पत्र के अनुसरण में पश्चात्वर्ती हक विलेखों के निक्षेप पण्यम, गिरवी या आडमान के करार या बंधक के विलेख के निष्पादन के समय ऐसे विलेखों पर प्रभार्य शुल्क की कुल रकम में समायोजित किया जायेगा।

(ज) यदि उसके लिए अन्यथा उपबंध न किया गया हो.

एक सौ रूपये.

छूटें :–

करार या करार का ज्ञापन –

(क) जो अनन्यतः माल या वाणिज्य के विक्रय के लिए

	है या उससे संबंधित है और जो अनुच्छेद 41 के अधीन प्रभार्य नोट या ज्ञापन नहीं है;	
	(ख) जो केन्द्रीय सरकार को किन्ही ऐसी निविदाओं के रूप में किये गये है जो किसी उधार के लिए है या उससे संबंधित है;	
6.	**हक–विलेख के निक्षेप**, पण्यम, गिरवी या आडमान से संबंधित करार अर्थात् निम्नलिखित से संबंधित करार का साक्ष्यित करने वाली कोई लिखत –	
	(क) ऐसे हक–विलेखों या लिखतों का निक्षेप जिसमें किसी भी संपत्ति पर (विपण्य प्रतिभूति से भिन्न) हक का साक्ष्य हो जाता है, जहां कि ऐसा निक्षेप, उधार में अग्रिम दिये गये या दिये जाने वाले धन के अथवा वर्तमान या भावी ऋण के चुकाए जाने के लिए प्रतिभूति के रूप में की गई है;	अधिकतम पचास हजार रूपये के अध्यधीन रहते हुए ऐसे विलेख द्वारा प्रतिभूत रकम का 0.5 प्रतिशत.
	(ख) जंगम संपत्ति का पण्यम, गिरवी या आडमान, जहां ऐसा पण्यम, गिरवी या आडमान उधार में अग्रिम दिये गये या दिये जाने वाले धन के अथवा वर्तमान या भावी ऋण के चुकाए जाने के लिए प्रतिभूति के रूप में दी गई है –	
	(एक) यदि ऐसा उधार या ऋण, मांग पर या ऐसे समय पर जो करार को साक्ष्यित करने वाली लिखत की तारीख से तीन मास से अधिक है, प्रतिसंदेय है;	अधिकतम दो लाख रूपये के अध्यधीन रहते हुए प्रतिभूत रकम का एक प्रतिशत.
	(दो) यदि ऐसा उधार या ऋण ऐसे समय पर प्रतिसंदेय है जो ऐसी लिखत की तारीख से तीन मास से अधिक नही है.	इस अनुच्छेद के खण्ड (ख) के उपखण्ड (एक) के अधीन देय शुल्क का आधा.
	स्पष्टीकरणः– इस अनुच्छेद के खण्ड (क) के प्रयोजनों के लिए, किसी न्यायालय के निर्णय, डिक्री या आदेश में या किसी प्राधिकारी के आदेश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी हक–विलेखों के निक्षेप से संबंधित किसी पत्र, टिप्पण, ज्ञापन या लेख को चाहे वह हक–विलेखों के निक्षेप किये जाने के पूर्व या ऐसे निक्षेप के समय या उसके पश्चात लिखा गया है, या बनाया गया है, और	

चाहे वह प्रथम उधार के लिए या बाद में लिये गये किसी अतिरिक्त उधार या उधारों के लिए प्रतिभूति के संबंध में हो ऐसा पत्र, टिप्पण, ज्ञापन या लेख को ऐसे हक विलेखों के निक्षेप से संबंधित किसी पृथक करार या करार के ज्ञापन के अभाव में हक–विलेखों के निक्षेप से संबंधित करार को साक्ष्यित करने वाली लिखत समझा जायेगा ।

छूट :–

(क) विनिमय–पत्र के साथ संलग्न आडमान पत्र;

(ख) कृषि उत्पाद के पण्यम या गिरवी की कोई लिखत यदि वह अननुप्रमाणित हो;

7.	**मुख्तारनामे** के निष्पादन में, न्यासियों का नियुक्त किया जाना या जंगम या स्थावर संपत्ति पर नियोजन, जहां वह ऐसी लिखत में जो वसीयत न हो, किया गया हो;	एक सौ रूपये.
8.	आं**कना या मूल्यांकन**, जो किसी वाद के अनुक्रम में न्यायालय के आदेश के अधीन न किया जाकर अन्यथा किया गया है;	एक सौ रूपये.

छूट

(क) आंकना या मूल्यांकन जो केवल एक पक्षकार की जानकारी के लिए किया गया है और जो या तो करार या विधि के प्रवर्तन द्वारा पक्षकारों के बीच किसी भी रीति से आबद्धकर नहीं है;

(ख) भाटक के रूप में भूमिस्वामी को दी जाने वाली रकम अभिनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए फसलों को आंकना;

9.	**शिक्षुता विलेख**, जिसके अंतर्गत प्रत्येक ऐसा लेख है, जो किसी ऐसे शिक्षु, लिपिक या सेवक की सेवा या अध्यापन से संबंधित है जो किसी मास्टर के पास किसी वृत्ति, व्यापार या नियोजन को सीखने के लिये रखा गया है;	*एक सौ रूपये.*

छूट

शिक्षुता लिखत, जिसके द्वारा कोई व्यक्ति किसी लोक पूर्त द्वारा या उसके प्रभार में शिक्षु रखा गया है;

10.	कंपनी के संगम अनुच्छेद –	
	(क) जहां कंपनी के पास अंशपूंजी (शेयर केपीटल) नहीं है;	एक हजार रूपये.
	(ख) जहां कंपनी के पास अभिहित अंश (शेयर) पूंजी है, या अंश (शेयर) पूंजी बढ़ाई है;	ऐसी अभिहित या बढ़ाई गई अंश (शेयर) पूंजी का 0.15 प्रतिशत जो किसी भी दशा में न्यूनतम एक हजार रूपये तथा अधिकतम पांच लाख रूपये होगी.
	छूट ऐसे संगम के अनुच्छेद जो लाभार्जन के लिए नहीं बनाया गया है और जो कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 25 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया गया है ।	
11.	**पंचाट** अर्थात् वाद के अनुक्रम में न्यायालय के आदेश से अन्यथा किये गये किसी निर्देश में माध्यस्थ या अधिनिर्णायक द्वारा दिया गया कोई लिखित विनिश्चय जो वर्तमान या भविष्य के मतभेदों को मध्यस्थम को प्रस्तुत करने के लिए लिखित करार के फलस्वरूप किया गया पंचाट है तथा जो विभाजन का निर्देश देने वाला पंचाट नहीं है;	उस संपत्ति के जो पंचाट से संबंधित है, रकम या मूल्य के प्रत्येक एक हजार रूपये या उसके भाग के लिए बीस रूपये.
12.	**बंधपत्र,** जो डिबेंचर नहीं है तथा जिसके लिए इस अधिनियम द्वारा या न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 (1870 का 7) द्वारा अन्यथा उपबंध नहीं किया गया है;	प्रतिभूत रकम या मूल्य का चार प्रतिशत.
	छूट बंधपत्र जब वह किसी व्यक्ति द्वारा यह गारंटी देने के प्रयोजन के लिए निष्पादित किया गया हो कि किसी पूर्त औषधालय या चिकित्सालय या लोक उपयोगी उद्‌देश्य के लिए प्राईवेट अभिदाय से प्राप्त स्थानीय आय प्रतिमास एक विनिर्दिष्ट रकम से कम नहीं होगी.	
13.	**पोत बंधपत्र,** अर्थात् कोई लिखत जिसके द्वारा समुद्रगामी पोत का मास्टर पोत की प्रतिभूति पर धन उधार लेता है, जिससे वह पोत का परिरक्षण करने में तथा उसकी समुद्र–यात्रा को अग्रसर करने में समर्थ हो सके;	वही शुल्क जो उतनी रकम के बंधपत्र (क्र. 12) पर लगता है.

14.	**रद्द करने की लिखत,** यदि वह अनुप्रमाणित है और उसके लिए अन्यथा उपबंध नहीं किया गया हैः **छूट** वसीयत के रद्दकरण की लिखत.	एक सौ रूपये.
15.	मध्यप्रदेश राज्य विधिज्ञ परिषद (बार काउंसिल) द्वारा, अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (1961 का 25) की धारा 22 के अधीन जारी किया गया नामांकन प्रमाण–पत्र;	*पांच सौ रूपये.*
16.	**नोटरी अधिनियम,** 1952 (1952 का 53) की धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन नोटरी के रूप में व्यवसाय करने का प्रमाण–पत्र या उक्त धारा की उपधारा (2) के अधीन ऐसे प्रमाण–पत्र के नवीकरण का पृष्ठांकन;	पांच सौ रूपये.
17.	ऐसी प्रत्येक संपत्ति के बारे में जो अलग लाट में नीलाम पर चढ़ाई गई है और बेची गई है, का विक्रय प्रमाण–पत्र, जो लोक नीलाम द्वारा बेची गई संपत्ति के क्रेता को किसी सिविल या राजस्व न्यायालय या कलक्टर या अन्य राजस्व अधिकारी द्वारा दिया गया है;	वही शुल्क जो केवल क्रय धन की रकम के बराबर बाजार मूल्य के लिए हस्तांतरण–पत्र (क्र. 22) पर लगता है.
18.	**प्रमाण–पत्र** या अन्य दस्तावेज जो उसके धारक का किसी अन्य व्यक्ति की किसी निगमित कंपनी या अन्य निगमित निकाय में के या उसके किन्ही शेयरों, स्क्रिप या स्टाक संबंधी अधिकार या हक को या किसी ऐसी कंपनी या निकाय में के या उसके शेयरों, स्क्रिप या स्टाक का स्वत्वधारी होने संबंधी अधिकार या हक को साक्ष्यित करता है;	शेयरों, स्क्रिप या स्टाक के मूल्य के प्रत्येक एक हजार रूपये या उसके भाग के लिए एक रूपया.
19.	**भाड़े पर पोत लेने की संविदा**, अर्थात् (कर्षवाप नौका के भाड़े संबंधी करार के सिवाय) कोई लिखत, जिसके द्वारा कोई जलयान या उसका कोई विनिर्दिष्ट प्रमुख भाग भाड़े की संविदा करने वाले के विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए भाड़े पर दिया जाता है, चाहे उस लिखत में शास्ति खण्ड हो या न हो;	दस रूपये.
20.	**समाशोधन सूची** :–	
	(क) यदि वह किसी स्टॉक एक्सचेंज के समाशोधन गृह को प्रस्तुत सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय या विक्रय के संव्यवहारों से संबंधित है;	अधिकतम एक हजार रूपये के अध्यधीन रहते हुए ऐसी सूची की प्रत्येक प्रविष्टि के संबंध में प्रतिभूतियों के उस मूल्य पर जो यथास्थिति मिलान कीमत (मेकिंग अप प्राईज) या संविदा

कीमत पर संगणित की गई है, के प्रत्येक 10,000 रूपये या उसके भाग के लिए एक रूपया.

(ख) यदि वह किसी स्टॉक एक्सचेंज के समाशोधन गृह को प्रस्तुत किसी निगमित कंपनी या निगमित निकाय के शेयर, स्क्रिप, डिबेंचर स्टाक या इसी प्रकार की अन्य विपण्य प्रतिभूतियों के क्रय या विक्रय के संव्यवहारों से संबंधित है;

ऐसी सूची की प्रत्येक प्रविष्टि के संबंध में प्रतिभूतियों के उस मूल्य पर जो यथास्थिति मिलान कीमत (मेकिंग अप प्राईज) या संविदा कीमत पर संगणित की गई है, के प्रत्येक 10,000 रूपये या उसके भाग के लिए एक रूपया.

21. **प्रशमन विलेख**, अर्थात् किसी ऋणी द्वारा निष्पादित कोई लिखत जिसके द्वारा वह अपने लेनदारों के फायदे के लिए अपनी संपत्ति हस्तांतरित करता है या जिसके द्वारा उनके ऋणों पर प्रशमन–धन या लाभांश का संदाय लेनदारों को प्रतिभूत किया जाता है या जिसके द्वारा लेनदारों द्वारा नामनिर्दिष्ट निरीक्षकों के पर्यवेक्षण के अधीन या अनुज्ञा पत्रों के अधीन ऋणी के कारबार को उसके लेनदारों के फायदे के लिये चालू रखने के लिए उपबंध किया जाता है;

पांच सौ रूपये.

22. **हस्तांतरण–पत्र,** जो ऐसे अंतरण के लिए नहीं है, जिसके लेखे क्रमांक 57 के अधीन प्रभार लगता है या छूट दी गई है;

उस संपत्ति के जो कि हस्तांतरण–पत्र की विषय–वस्तु है, बाजार मूल्य का आठ प्रतिशत.

परन्तु –

(क) जहां कोई लिखत कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 394 के अधीन उच्च न्यायालय के आदेशों के अधीन या बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 44–क के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक के आदेशों के अधीन कंपनियों के समामेलन या पुनर्गठन से संबंधित हो वहां प्रभार्य शुल्क, उस अंतरित स्थावर संपत्ति, जो कि मध्यप्रदेश राज्य के भीतर स्थित है, के बाजार मूल्य के 7 प्रतिशत के बराबर रकम या ऐसे अंतरण के विनिमय में या अन्यथा जारी या अवंटित शेयरों के बाजार मूल्य तथा ऐसे अंतरण के लिए संदत्त प्रतिफल की रकम के योग के 0.7 प्रतिशत,

इसमें से जो भी अधिक हो, से अधिक नहीं होगा;

(ख) जहां कोई लिखत किसी ऋण के समनुदेशन से संबंधित हो, वहां लागू शुल्क की दर समनुदेशित ऋण की रकम का 0.5 प्रतिशत होगी;

(ग) जहां किसी स्थावर संपत्ति का विक्रय करने के लिए करार किसी हस्तांतरण–पत्र के लिये अपेक्षित मूल्यानुसार शुल्क से स्टाम्पित किया गया हो, तथा ऐसे करार के अनुसरण में कोई विक्रय–पत्र पर शुल्क न्यूनतम 100 रूपये के अध्यधीन रहते हुए पूर्व में संदत्त शुल्क को कम करके इस अनुच्छेद के अधीन देय शुल्क होगा;

(घ) जहां किसी अभिकर्ता को स्थावर संपत्ति का विक्रय करने के लिए प्राधिकृत करने का मुख्तारनामा किसी हस्तांतरण–पत्र के लिये अपेक्षित मूल्यानुसार शुल्क से स्टाम्पित किया गया हो तथा ऐसे मुख्तारनामे के अनुसरण में, मुख्तारनामे के निष्पादक तथा उस व्यक्ति, जिसके पक्ष में इसे निष्पादित किया गया है, के मध्य कोई विक्रय–पत्र निष्पादित किया जाता है, वहां ऐसे विक्रय–पत्र पर शुल्क न्यूनतम 100 रूपये के अध्यधीन रहते हुए, पूर्व में संदत्त शुल्क को कम करके इस अनुच्छेद के अधीन देय शुल्क देय होगा;

(ङ) जहां कोई बंधक विलेख अनुच्छेद 38 के अधीन किसी बंधक के लिए अपेक्षित मूल्यानुसार शुल्क से स्टाम्पित है, तथा बंधक संपत्ति के विरूद्ध फाईल किये गये किसी वाद के अनुसरण में कोई न्यायालयीन डिक्री निष्पादित की जाती है, वहां ऐसी डिक्री पर देय शुल्क, न्यूनतम 100 रूपये के अध्यधीन रहते हुए, अनुच्छेद 38 के अधीन ऐसे बंधक

विलेख पर पूर्व में संदत्त शुल्क को कम करके इस अनुच्छेद के अधीन देय शुल्क होगा.

स्पष्टीकरण 1— *इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिये, जहां स्थावर संपत्ति का विक्रय करने के करार की दशा में, स्थावर संपत्ति के कब्जे का अंतरण ऐसे करार के निष्पादन के पूर्व या निष्पादन के पश्चात्, उसके संबंध में हस्तांतरण—पत्र का निष्पादन किये बिना ही क्रेता को कर दिया जाता है, वहां विक्रय करने के ऐसे करार को हस्तांतरण—पत्र माना जायेगा और उस पर स्टाम्प शुल्क तदनुसार उद्ग्रहणीय होगाः*

परन्तु धारा 48 के उपबंध यथावश्यक परिवर्तन सहित ऐसे करार को, जिसके पूर्वोक्तानुसार हस्तारंण—पत्र माना गया है, उसी वे प्रकार लागू होगें, जैसे कि वे उस धारा के अधीन किसी हस्तांतरण—पत्र को लागू होते हैं ।

स्पष्टीकरण 2ः— *परन्तुक (क) के प्रयोजनों के लिये, अनुच्छेद क्रमांक 22 के सामने कालम में शेयरों का बाजार मूल्य , —*

(क) ऐसी अंतरिती कम्पनी के संबंध में, जिसके शेयर सूचीबद्ध हों, तथा किसी स्टाक केन्द्र में व्यापार के लिये उद्धरित किये गये हो, समामेलन की स्कीम में वर्णित नियुक्ति दिनांक पर या जब ऐसा नियुक्ति दिनांक नियत नहीं किया गया हो, तो अधिकरण के आदेश की तारीख पर शेयरों का बाजार मूल्य अभिप्रेत है;

(ख) ऐसी अंतरिती कम्पनी के संबंध में, जिसके शेयर सूचीबद्ध न हों या सूचीबद्ध हों किन्तु किसी स्टॉक केन्द्र पर व्यापार के लिये उद्धरित न किये गये हों, अंतरणकर्ता कम्पनी के शेयरों के बाजार मूल्य के संदर्भ में जारी या आवंटित शेयरों का बाजार मूल्य अभिप्रेत है ।

छूट :–

प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, 1957 (1957 का 14) के अधीन प्रतिलिप्याधिकार का समनुदेशन.

23.	**प्रति या उद्धरण**, जिसकी बाबत भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) की धारा 76 के अधीन किसी लोक अधिकारी या उसके आदेश से यह प्रमाणित किया गया है कि वह सही प्रति या उद्धरण है और जो न्यायालय फीस से संबंधित तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन प्रभार्य नहीं है;	दस रूपये.

छूटें :–

(क) किसी ऐसे कागज–पत्रों की प्रतिलिपि जिसके संबंध में लोक अधिकारी से विधि द्वारा अभिव्यक्त रूप से यह अपेक्षा की गई है कि वह किसी लोक कार्यालय में या लोक प्रयोजन के निमित्त अभिलेख के लिए उसे बनाये या दे;

(ख) जन्मों, बपतिस्मों, नामकरणों, समर्पणों, विवाहों, विवाह–विच्छेदों, मृत्युओं या दफन से संबंधित किसी रजिस्टर की या उसमें के किसी उद्धरण की प्रतिलिपि;

24.	किसी लिखत का, जो कि शुल्क से प्रभार्य है और जिसके संबंध में उचित शुल्क दे दिया गया है, प्रतिलेख या दूसरी प्रति;	एक सौ रूपये.

छूट

कृषकों को दिये गये किसी पट्टे का प्रतिलेख जबकि ऐसा पट्टा शुल्क से छूट प्राप्त हो;

25.	**सीमा शुल्क बंध–पत्र या आबकारी बंध–पत्र** अर्थात् तत्समय प्रवृत्त किसी विधि की उपबंधों के अनुसरण में या सीमा या आबकारी विभाग के किसी अधिकारी के निर्देशों के अनुसरण में या सीमा या आबकारी के किसी शुल्क के संबंध में या उनमें कपट या अपवंचन को रोकने के लिए या उनसे संबंधित किसी अन्य मामले या उससे संबंधित किसी बात के संबंध में दिये गये बंध–पत्र;	एक सौ रूपये.

26.	**माल की बाबत परिदान आदेश**, अर्थात् ऐसी लिखत, जो उसमें निमित्त किसी व्यक्ति को या उसके समनुदेशितियों या लिखत के धारक को, किसी डाक या पत्तन पर या ऐसे किसी भांडागार में, जहां माल का भाटक या भाड़े पर या घाट पर भंडारण संगृहीत या निक्षेप किया जाता है, किसी माल के परिदान के लिये हकदार बनाता है, और ऐसी लिखत उसमें की संपत्ति के विक्रय या अंतरण पर ऐसे माल के स्वामी द्वारा या उसकी ओर से निष्पादित की गई हो, जब कि ऐसे माल का मूल्य *एक हजार रूपये* से अधिक हो;	*दस रूपये.*
27.	**विवाह—विच्छेद की लिखत**, अर्थात् कोई ऐसी लिखत जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अपने विवाह का विघटन करता है;	*पांच सौ रूपये.*
28.	**विशेष विवाह अधिनिमय,** 1954 (1954 का 43) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट विवाह प्रमाण—पत्र की रजिस्टर में प्रविष्टि;	*दस रूपये.*
29.	संपत्ति के विनिमय की लिखत;	वही शुल्क जो अधिकतम मूल्य की सपंत्ति के बाजार मूल्य के हस्तांतरण—पत्र (क्र. 22) पर जो कि विनिमय की विषय—वस्तु है, पर लगता है.
30.	**अतिरिक्त भार की लिखत**, अर्थात् कोई ऐसी लिखत जो बंधक संपत्ति पर अतिरिक्त भार अधिरोपित करती है :—	
	(क) जबकि मूल बंधक अनुच्छेद क्र. 38 के खण्ड (क) में निर्दिष्ट किये गये वर्णनों में से किसी एक वर्णन का है, (अर्थात् कब्जे सहित)	वही शुल्क जो ऐसी लिखत द्वारा प्रतिभूत किये गये और भार की रकम के बराबर बाजार मूल्य के हस्तांतरण—पत्र (क्र. 22) पर लगता है.
	(ख) जबकि ऐसा बंधक अनुच्छेद क्र. 38 के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट किये गये विवरणों में से किसी एक वर्णन का है, (अर्थात् कब्जे रहित)	
	(एक) यदि अतिरिक्त भार की लिखत के निष्पादन के समय, संपत्ति का कब्जा ऐसी लिखत के अधीन दे दिया गया है या दिये जाने के लिए करार किया गया है;	वही शुल्क जो भार की (जिसके अंतर्गत मूल बंधक और पहले किया गया कोई अतिरिक्त भार है) कुल रकम के बराबर बाजार मूल्य के हस्तांतरण—पत्र (क्र. 22) पर लगता है, जिसमें से वह शुल्क जो ऐसे मूल बंधक और अतिरिक्त भार पर संदत्त किया गया हे, कम कर दिया जायेगा.
	(दो) यदि कब्जा इस प्रकार नहीं दिया गया हो;	वही शुल्क जो ऐसी लिखत द्वारा प्रतिभूत किये

		गये अतिरिक्त भार की रकम के बंध पत्र (क्र. 12) पर लगता है.
31.	**दान की लिखत**, जो व्यवस्थापन (क्र. 52) या वसीयत या अंतरण (क्र. 57) नहीं है;	वही शुल्क जो उस संपत्ति के जो दान की विषय–वस्तु है, के बाजार मूल्य के हस्तांतरण–पत्र (क्र.22) पर लगता है.
32.	**क्षतिपूर्ति बंध–पत्र;** *अर्थात् कोई लिखत जिसके द्वारा एक व्यक्ति स्वयं वचनदाता के आचरण द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति के आचरण द्वारा उसे कारित होने वाली हानि से अन्य को बचाने के लिये वचन देता है;*	वही शुल्क जो उतनी ही रकम के प्रतिभूति–पत्र (क्र.51) पर लगता है.
33.	**पट्टा**, जिसके अंतर्गत अवर–पट्टा या उप–पट्टा तथा पट्टे या उप–पट्टे पर देने या किसी पट्टे का नवीकरण करने के लिये कोई करार है :–	
	(एक) जहां कि पट्टा एक वर्ष से कम अवधि के लिए तात्पर्यित है;	वही शुल्क जो ऐसे बंध–पत्र (क्र.12) पर ऐसे पट्टे के अधीन देय या परिदेय पूरी रकम के लिए लगता है.
	(दो) जहां कि पट्टा ऐसी अवधि के लिए तात्पर्यित है, जो एक वर्ष से कम नहीं है, किन्तु पांच वर्ष से अधिक नहीं है;	वही शुल्क जो आरक्षित किये गये औसत वार्षिक भाटक की रकम *या सम्पत्ति के बाजार मूल्य के दस प्रतिशत के बराबर रकम, इनमें से जो अधिक हो,* के बंध–पत्र (क्र.12) पर लगता है.
	(तीन) जहां कि पट्टा ऐसी अवधि के लिए तात्पर्यित है, जो पांच वर्ष से अधिक है, किन्तु दस वर्ष से अधिक नहीं है;	वही शुल्क जो आरक्षित किये गये औसत वार्षिक भाटक की रकम या मूल्य के तीन गुने के बराबर बाजार मूल्य *या सम्पत्ति के बाजार मूल्य के पच्चीस प्रतिशत के बराबर रकम, इनमें से जो अधिक हो,* के हस्तांतरण–पत्र (क्र.22) पर लगता है.
	(चार) जहां कि पट्टा ऐसी अवधि के लिए तात्पर्यित है, जो दस वर्ष से अधिक है, किन्तु बीस वर्ष से अधिक नहीं है;	वही शुल्क जो आरक्षित किये गये औसत वार्षिक भाटक की रकम या मूल्य के पांच गुने के बराबर बाजार मूल्य *या सम्पत्ति के बाजार मूल्य के पचास प्रतिशत के बराबर रकम, इनमें से जो अधिक हो,* के हस्तांतरण–पत्र (क्र.22) पर लगता है.
	(पांच) जहां कि पट्टा ऐसी अवधि के लिए तात्पर्यित है, जो बीस वर्ष से अधिक है, किन्तु तीस वर्ष से अधिक नहीं है;	वही शुल्क जो आरक्षित किये गये औसत वार्षिक भाटक की रकम या मूल्य के आठ गुने के बराबर बाजार मूल्य *या सम्पत्ति के बाजार मूल्य के नब्बे*

प्रतिशत के बराबर रकम, इनमें से जो अधिक हो, के हस्तांतरण–पत्र (क्र.22) पर लगता है.

(छह) जहां कि पट्टा ऐसी कालावधि के लिए तात्पर्यित है, जो तीस वर्ष से अधिक है या शाश्वतिक है या निश्चित कालावधि के लिए तात्पर्यित नहीं है;

वही शुल्क जो संपत्ति के बाजार मूल्य के बराबर रकम के हस्तांतरण–पत्र (क्र.22) पर लगता है:

परन्तु –

(क) जब कोई पट्टा करने के करार की लिखत किसी पट्टे के लिए अपेक्षित मूल्यानुसार स्टाम्प से स्टाम्पित है, और ऐसे करार के अनुसरण में पट्टा तत्पश्चात् निष्पादित किया गया है, तब ऐसे पट्टे पर शुल्क एक सौ रूपये से अधिक नहीं होगा;

(ख) जहां किसी पट्टे के संबंध में किसी सिविल न्यायालय की कोई डिक्री या अंतिम आदेश किसी पट्टे के लिये अपेक्षित मूल्यानुसार शुल्क से स्टाम्पित है और पट्टे की लिखत तत्पश्चात् निष्पादित की गई है, तो वहां न्यूनतम एक सौ रूपये के अध्यधीन रहते हुए ऐसे पट्टा विलेख पर पूर्व में संदत्त शुल्क को कम करके इस अनुच्छेद के अधीन शुल्क देय होगा;

(ग) पट्टे के किसी करार में जहां निर्माण, प्रर्वतन और अंतरण (बी0ओ0टी0) स्कीम के अधीन सड़क, पुल आदि के निर्माण में पट्टेदार द्वारा खर्च की गई रकम के बदले में पथकर संग्रह का अधिकार दिया गया है, जहां ऐसा करार पट्टेदार द्वारा करार के अधीन संभाव्य खर्च किये जाने वाली रकम के दो प्रतिशत की दर से प्रभार्य होगा ।

स्पष्टीकरण एक *:— प्रीमियम या अग्रिमधन या दिये जाने वाले अग्रिम या प्रतिभूति निक्षेप, चाहे किसी नाम से पुकारा जाये, के रूप में कोई प्रतिफल, बाजार मूल्य के प्रयोजन के लिये परिदत्त प्रतिफल मान्य किया जायेगा ।*

स्पष्टीकरण दो *:— नवीनीकरण की अवधि, यदि विनिर्दिष्टतः वर्णित की जाये, तो वर्तमान पट्टे का हिस्सा मानी जायेगी ।*

स्पष्टीकरण तीन :— जबकि पट्टेदार किसी आवर्ती प्रभार जेसे कि सरकारी राजस्व, भू—स्वामी के उपकरों का अंश (शेयर) या नगरपालिक दरों या करों में स्वामी का अंश (शेयर) जो कि पट्टाकर्ता से विधि द्वारा वसूलीय हो, के चुकाने का जिम्मा लेता हो, तो वह रकम, जिसके कि, पट्टेदार द्वारा चुकाये जाने का इस प्रकार करार किया गया हो, भाटक का भाग समझी जायेगी ।

छूट :—

खेतिहर की दशा में तथा खेती करने के प्रयोजनों के लिए पट्टा (जिसके अंतर्गत खाद्य या पेय के उत्पादन के लिए वृक्षों का पट्टा है), जो कोई जुर्माना या प्रीमियम दिये बिना या परिदत्त किये बिना निष्पादित किया गया है, और जबकि कोई निश्चित अवधि अभिव्यक्त की गई है ओर ऐसी अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं है, या जबकि आरक्षित किया गया औसत वार्षिक भाटक एक सौ रूपये से अधिक नहीं है.

34.	**शेयरों का आवंटन—पत्र**, जो किसी कंपनी या प्रस्थापित कंपनी में या किसी कंपनी या प्रस्थापित कंपनी द्वारा लिये जाने वाले किसी उधार की बाबत् है;	*दस रूपये.*
35.	**प्रत्याभूति—पत्र,** *अर्थात् कोई लिखत जिसके द्वारा कोई व्यक्ति दूसरे के ऋण या व्यतिक्रम के लिये स्वयं को उत्तरदायी बनाता है;*	दो सौ पचास रूपये.
36.	**अनुज्ञप्ति पत्र,** अर्थात् ऋणी तथा उसके लेनदारों के बीच इस बात का कोई करार कि लेनदार विनिर्दिष्ट	पांच सौ रूपये.

समय के लिए अपने दावों को निलंबित कर देंगे और ऋणी को स्वयं अपने विवेकानुसार कारबार चलाने देंगे;	
37. **कंपनी संगम–ज्ञापन –**	
(क) यदि उसके साथ कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 26 के अधीन संगम–अनुच्छेद संलग्न हो;	पांच सौ रूपये.
(ख) यदि उसके साथ उपर्युक्त संलग्न न हो;	कंपनी की शेयर पूंजी के अनुसार वही शुल्क जो अनुच्छेद 10 के अधीन संगम–अनुच्छेद पर प्रभार्य है.
छूट :–	
किसी संगम का ज्ञापन जो लाभ के लिए नहीं बनाया गया है और कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 25 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है.	
38. **बंधक विलेख**, जो हक विलेखों के निक्षेप, पण्यम या गिरवी या आडमान (क्र.6) पोत बंध–पत्र (क्र.13) फसल का बंधक (क्र.39) जहाजी माल बंध–पत्र (क्र.50) या प्रतिभूति बंध–पत्र (क्र.51) से संबंधित करार नहीं है :–	
(क) जबकि ऐसे विलेख में समाविष्ट संपत्ति या संपत्ति के किसी भाग का कब्जा बंधककर्ता द्वारा दे दिया गया है, या दिये जाने के लिए करार किया गया है;	वही शुल्क जो ऐसे विलेख द्वारा प्रतिभूत रकम के बराबर बाजार मूल्य के हस्तांतरण–पत्र (क्र. 22) पर लगता है.
(ख) जबकि यथापूर्वोक्त कब्जा नहीं दिया गया है या दिये जाने के लिए करार नहीं किया गया है;	वही शुल्क जो ऐसे विलेख द्वारा प्रतिभूत रकम के बंध–पत्र (क्र. 12) पर लगता है.
स्पष्टीकरण :– ऐसे बंधककर्ता के बारे में, जो बंधकदार को बंधकित संपत्ति या उसके भाग के भाटक का संग्रहण करने के लिए मुख्तारनामा देता है, यह समझा जाये कि वह उस अनुच्छेद के अर्थ के अंतर्गत कब्जा दे देता है.	
(ग) जबकि कोई सांपार्श्विक या सहायक या अतिरिक्त या प्रतिस्थापित प्रतिभूति है, या उपरोक्त वर्णित प्रयोजन के लिए और आश्वासन के रूप में है, जहां कि मूल या प्राथमिक प्रतिभूति सम्यक रूप से स्टाम्पित है;	*एक सौ रूपये.*

छूटः—

वे लिखतें, जो भूमि विकास उधार अधिनियम, 1883 (1883 का 19) या कृषक उधार अधिनियम, 1884 (1884 का12) के अधीन उधार लेने वाले व्यक्तियों द्वारा या उनके प्रतिभूओं द्वारा ऐसे अग्रिमों के चुकाने के लिए प्रतिभूति के रूप में निष्पादित की गई है.

39.	**फसल का बंधक**, जिसके अंतर्गत कोई ऐसी लिखत है, जो फसल के किसी बंधक पर दिये गये उधार के प्रतिदाय को प्रतिभूत करने के लिए किसी करार को साक्ष्यित करती है, चाहे बंधक के समय फसल अस्तित्व में हो या न हो;	*दस रूपये.*
40.	**नोटरी संबंधी कार्य**,, कोई ऐसी लिखत अर्थात् पृष्ठांकन, टिप्पण, अनुप्रमाणन, प्रमाण—पत्र या प्रविष्टि, जो प्रसाक्ष्य (क्र.46) नहीं है और जो पब्लिक नोटरी द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों के निष्पादन में या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा पब्लिक नोटरी के रूप में विधि पूर्वक कार्य करते हुए निष्पादित की गई है.	दस रूपये.
41.	**टिप्पण या ज्ञापन,** जो दलाल या अभिकर्ता द्वारा अपने मालिक को, ऐसे मालिक के लेखे निम्नलिखित के क्रय या विक्रय की प्रज्ञापना देते हुए भेजा गया है —	
	(क) ऐसे किसी माल का, जो *एक हजार रूपये* से अधिक मूल्य का है;	*प्रत्येक एक लाख रूपये या उसके भाग के लिये दो रूपये.*
	(ख) ऐसे किसी शेयर, स्क्रिप, स्टॉक, बंध—पत्र, डिबेंचर, डिबेंचर—स्टॉक या इसी प्रकार के अन्य विपण्य प्रतिभूति का, जो *एक हजार रूपये* से अधिक मूल्य का है, जो सरकारी प्रतिभूति न हो;	यथास्थिति, उनके क्रय या विक्रय के समय प्रतिभूति के मूल्य के प्रत्येक दस हजार रूपये या उसके भाग के लिये एक रूपया.
	(ग) ऐसे किसी सरकारी प्रतिभूति का;	यथास्थिति, उनके क्रय या विक्रय के समय प्रतिभूति के मूल्य के प्रत्येक दस हजार रूपये या उसके भाग के लिये अधिकतम एक हजार रूपये के अध्यधीन रहते हुए एक रूपया.

छूट

टिप्पण या ज्ञापन जो दलाल या अभिकर्ता द्वारा अपने मालिक को, ऐसे मालिक के लेखे या किसी

सरकारी प्रतिभूति या किसी शेयर स्क्रिप, स्टाक, बंध–पत्र, डिबेंचर, डिबेंचर–स्टाक या इसी प्रकार के अन्य विपण्य प्रतिभूति या किसी निगमित कंपनी के या अन्य निगमित निकाय के क्रय या विक्रय की प्रज्ञापना देते हुए, जो अपेक्षित है उनसे संबंधित प्रविष्टि, अनुच्छेद 20 के खण्ड (क) तथा (ख) में वर्णित समाशोधन सूची में बनायी जाकर भेजी गई हो.

42. पोत के मास्टर द्वारा आपत्ति का टिप्पण; — दस रूपये

43. **विभाजन** की लिखत — वही शुल्क जो ऐसी संपत्ति के पृथक किये गये अंश या अंशों के मूल्य की रकम के बंध–पत्र (क्र. 12) पर लगता है;

टिप्पण :– संपत्ति विभाजित कर दिए जाने के पश्चात् बच रहे सबसे बड़े अंश को (या यदि दो या अधिक समान मूल्य के अंश है जो अन्य अंशों में से किसी भी अंश से छोटे नहीं है तो ऐसे समान अंशों में से एक अंश को) ऐसा अंश समझा जायेगा जिससे अन्य अंश पृथक कर दिये गये है:

परन्तु —

(क) जबकि विभाजन की कोई ऐसी लिखत निष्पादित की गई है जिसमें संपत्ति को पृथक्–पृथक् विभक्त करने का करार है और ऐसे करार के अनुसरण में विभाजन कर दिया गया है, तब ऐसा विभाजन प्रभावी करने वाली लिखत पर प्रभार्य शुल्क में से प्रथम लिखत की बाबत चुकाए गये शुल्क की रकम कम कर दी जायेगी, किन्तु वह एक सौ रूपये से कम नहीं होगा;

(ख) जहां केवल कृषि भूमि के विभाजन से संबंधित लिखत है, वहां शुल्क के प्रयोजन के लिए बाजार मूल्य वार्षिक भू–राजस्व के सौ गुना से संगणित किया जायेगा;

	(ग) जहां कि किसी राजस्व प्राधिकारी या सिविल न्यायालय द्वारा विभाजन का पारित अंतिम आदेश, या विभाजन करने का निर्देश देते हुए मध्यस्थ द्वारा दिया गया पंचाट, विभाजन की किसी लिखत के लिए अपेक्षित स्टाम्प से स्टाम्पित किया गया है, और ऐसे आदेश या पंचाट के अनुसरण में विभाजन की लिखत तत्पश्चात् निष्पादित की गई है, वहां ऐसी लिखत पर शुल्क एक सौ रूपये से अधिक नहीं होगा.
44. **भागीदारी –**	
क. भागीदारी की लिखत –	
(क) जहां भागीदारी में कोई अभिदाय के शेयर नहीं है या जहां ऐसे अभिदाय के शेयर रूपये 50000 से अधिक नहीं है;	एक हजार रूपये.
(ख) जहां ऐसे अभिदाय के शेयर रूपये 50000 से अधिक है;	अधिकतम पांच हजार रूपये के अध्यधीन रहते हुए अभिदत्त शेयरों का दो प्रतिशत.
ख. भागीदारी का विघटन या भागीदार की सेवानिवृत्ति–	
(क) जहां भागीदारी का विघटन होने पर या किसी भागीदार के सेवानिवृत्ति होने पर कोई स्थावर संपत्ति ऐसे भागीदार जो कि उस संपत्ति को अपने अभिदाय के शेयर के रूप में लाया था, से भिन्न किसी भागीदार द्वारा अपने शेयर के रूप में ली जाती है;	वही शुल्क जो ऐसी संपत्ति के बाजार मूल्य के हस्तांतरण–पत्र (क्र.22) पर लगता है.
(ख) किसी अन्य मामले में;	*पांच सौ रूपये.*
45. **मुख्तारनामा**, जो परोक्षी नहीं है –	
(क) जबकि वह एक या अधिक व्यक्तियों को, एक ही संव्यवहार में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करता है जिसमें एक ही संव्यवहार से संबंधित एक या अधिक दस्तावेजों का रजिस्ट्रीकरण उपाप्त करने के लिये या ऐसे एक या अधिक दस्तावेजों का निष्पादन स्वीकृत करने के लिये निष्पादन स्वीकृत करने के लिए निष्पादित किया गया मुख्तारनामा भी सम्मिलित है;	*एक सौ रूपये.*
(ख) जबकि वह एक व्यक्ति को एक से अधिक संव्यवहारों में या साधारणतः कार्य करने के लिये या	एक सौ रूपये.

	दस से अनधिक व्यक्तियों को संयुक्ततः या पृथकतः एक से अधिक संव्यवहारों में या साधारणतः कार्य करने के लिए प्राधिकृत करता है;	
	(ग) जबकि वह प्रतिफल के लिए दिया गया है तथा अभिकर्ता को किसी स्थावर संपत्ति का विक्रय करने के लिए प्राधिकृत करता है;	वही शुल्क जो संपत्ति के बाजार मूल्य के हस्तांतरण–पत्र (क्र.22) पर लगता है.
	(घ) जबकि वह प्रतिफल के बिना दिया गया है और अभिकर्ता को मध्यप्रदेश में स्थित किसी स्थावर संपत्ति के विक्रय, दान, विनिमय अथवा स्थायी रूप से अन्यसंक्रांत करने के लिये प्राधिकृत करता है–	
	(एक) इसके निष्पादन की तारीख से एक वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिये;	एक सौ रूपये.
	(दो) इसके निष्पादन की तारीख से एक वर्ष से अधिक की कालावधि के लिये या जबकि वह अप्रतिसंहरणीय हो, या जबकि वह किसी निश्चित अवधि के लिये तात्पर्यित न हो;	वही शुल्क जो ऐसी संपत्ति के बाजार मूल्य के हस्तांतरण–पत्र (क्र.22) पर लगता है, जो मुख्तारनामा की विषय–वस्तु हो.
	(ङ) अन्य किसी मामले में;	*प्राधिकृत किये गये प्रति व्यक्ति के लिये एक सौ रूपये.*
	स्पष्टीकरण 1 :– एक से अधिक व्यक्तियों की बाबत् उस दशा में, जिसमें कि वे एक ही फर्म के है, इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिये यह समझा जायेगा कि वे एक ही व्यक्ति है;	
	स्पष्टीकरण 2 :– रजिस्ट्रीकरण पद के अंतर्गत ऐसी प्रत्येक क्रिया आती है, जो रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन रजिस्ट्रीकरण से आनुषंगिक है;	
46.	**विनिमय–पत्र या वचन–पत्र** विषयक, प्रसाक्ष्य, अर्थात् नोटरी पब्लिक या उस हैसियत में विधि–पूर्वक करने वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लिखित रूप में की गई ऐसी घोषणा, जो विनिमय–पत्र या वचन–पत्र को अनादर करने का अनुप्रमाणन करती है;	दस रूपये.
47.	**पोत के मास्टर द्वारा आपित्त,** अर्थात् पोत की यात्रा के विवरणों का ऐसा घोषणा–पत्र, जो हानियों का समायोजन करने या औसतों का परिकलन करने की	दस रूपये.

	दृष्टि से उसके द्वारा लिखा गया है और पोत को भाड़े की संविदा पर लेने वालों या परेषितियों द्वारा पोत पर माल न लादने या पोत से माल न उतारने के लिये उस द्वारा उनके विरूद्ध लिखित रूप में की गई कोई घोषणा जब कि ऐसा घोषणा–पत्र नोटरी पब्लिक या उस हैसियत में विधिपूर्वक कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अनुप्रमाणित या प्रमाणित किया गया है;	
48.	**बंधकित संपत्ति का प्रतिहस्तांतरण;**	*पांच सौ रूपये.*
49.	**निर्मुक्ति** अर्थात् कोई लिखत, (जो ऐसी निर्मुक्ति नहीं है जिसके लिये धारा 25 द्वारा उपबंध किया गया है) जिसके द्वारा कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति पर दावे का या किसी विनिर्दिष्ट सम्पत्ति पर दावे का त्याग कर देता है;	वही शुल्क जो संपत्ति के उस शेयर पर जिस पर कि दावे का त्याग किया गया है, के प्रतिफल या बाजार मूल्य जो भी उच्चतर हो, के बंध–पत्र (क्र.12)पर लगता है.
50.	**जहाजी माल बंध–पत्र** अर्थात् कोई लिखत जो उस उधार के लिये प्रतिभूति देती है जो किसी पोत के फलक पर लादे गये या लादे जाने वाले स्थोरा पर लिया गया है और जिसकी अदायगी स्थोरा के गंतव्य पत्तन पर पहुंचने पर समाश्रित है;	वही शुल्क जो प्रतिभूत किये गये उधार की रकम के बंध–पत्र (क्र. 12) पर लगता है.
51.	**प्रतिभूति बंध–पत्र या बंधक विलेख,** जहां ऐसा प्रतिभूति बंध–पत्र या बंधक विलेख किन्ही पदीय कर्तव्यों के सम्यक् निष्पादन के लिए प्रतिभूति के रूप में निष्पादित किया गया है या जो उसके आधार पर प्राप्त धनराशि या अन्य संपत्ति का लेखा–जोखा देने के लिए निष्पादित किया गया है या किसी संविदा का सम्यक् पालन सुनिश्चित करने के लिये या किसी न्यायालय या लोक अधिकारी के किसी आदेश के अनुसरण में जो न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 (1870 का 7) द्वारा अन्यथा उपबंधित न हो प्रतिभूति द्वारा निष्पादित किया गया है;	दो सौ पचास रूपये.

छूटें

बंध–पत्र या अन्य लिखत जब कि वह निष्पादित किया जाये–

(क) किसी व्यक्ति द्वारा इस बात की प्रत्याभूति देने के प्रयोजनार्थ कि किसी खैराती औषधालय या अस्पताल या लोक उपयोगिता के किसी अन्य

उद्‌देश्य के लिये दिये गये प्राईवेट चंदों से व्युत्पन्न स्थानीय आय प्रतिमास विनिर्दिष्ट राशि से कम नहीं होगी;

(ख) ऐसे व्यक्तियों द्वारा जिन्होंने भूमि विकास उधार अधिनियम, 1883 (1883 का 19) या कृषक उधार अधिनियम, 1884 (1884 का 12) के अधीन अग्रिम धन लिये है, या उनके प्रतिभूओं द्वारा ऐसे अग्रिम धन के चुका दिये जाने के लिये प्रतिभूति के रूप में;

(ग) सरकार के अधिकारियों द्वारा या उनके प्रतिभूओं द्वारा किसी पद के कर्तव्यों के सम्यक् निष्पादन को या उनके अपने पद के आधार पर प्राप्त धनराशि या अन्य संपत्ति का सम्यक् रूप से लेखा देने को सुनिश्चित करने के लिये.

52. **व्यवस्थापन** :—

(क) व्यवस्थापन की लिखत (जिसके अंतर्गत महर विलेख है) — वही शुल्क जो व्यवस्थापित संपत्ति के बाजार मूल्य की राशि के बंध—पत्र (सं.12) पर लगता है:

परन्तु जहां कि व्यवस्थापन के लिये करार व्यवस्थापन की लिखत के लिये अपेक्षित स्टाम्प से स्टाम्पित है और ऐसे करार के अनुसरण में व्यवस्थापन संबंधी लिखत तत्पश्चात् निष्पादित की गई है, वहां ऐसी लिखत पर शुल्क एक सौ रूपये से अधिक नहीं होगा.

छूट :—

विवाह के अवसर पर मुसलमानों के बीच निष्पादित किया गया महर विलेख चाहे ऐसा विलेख विवाह के पूर्व या विवाह के पश्चात् निष्पादित किया गया हो.

(ख) व्यवस्थापन का प्रतिसंहरण; — *पांच सौ रूपये.*

53. **शेयर वारंट** वाहक के लिये कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन निर्गमित; — *वही शुल्क जो वारंट में विनिर्दिष्ट शेयरों की अभिहित रकम के बराबर बाजार मूल्य के हस्तांतरण—पत्र (क्र.22) पर देय है.*

छूटः—

शेयर वारंट, जबकि वह किसी कम्पनी द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 114 के

	अनुसरण में निर्गमित किया गया है, स्टाम्प राजस्व कलक्टर को उस शुल्क के लिये प्रशमन–धन के रूप में निम्नलिखित की अदायगी कर दी जाने पर प्रभावी होगा – (क) कम्पनी की पूरी प्रतिश्रुत पूंजी का डेढ़ प्रतिशत; या (ख) यदि कोई कंपनी जिसने उक्त शुल्क या प्रशमन–धन पूर्णतः चुका दिया है, अपनी प्रतिश्रुत पूंजी में अतिरिक्त वृद्धि निर्गमित करता है, तो इस प्रकार निर्गमित अतिरिक्त पूंजी का डेढ़ प्रतिशत.	
54.	**पोत द्वारा भेजने के आदेश**, जो किसी जलयान के फलक पर माल का प्रवहण करने के लिये या माल का प्रवहण करने से संबंधित हो;	*दस रूपये.*
55.	**पट्टे का अभ्यर्पण ;** **छूट** पट्टे का अभ्यर्पण जब कि ऐसे पट्टे को शुल्क से छूट दी गई है;	*पांच सौ रूपये.*
56.	***उत्तराधिकार में प्राप्त स्थावर संपत्ति के संबंध में*** *विधिक वारिसों द्वारा या शासन से मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधारी अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, 1984 (क्रमांक 15 सन् 1984) या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन पट्टा धारण करने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) द्वारा हक की घोषणा;*	*उस सम्पत्ति के जिसके संबंध में हक की घोषणा की गई है, बाजार मूल्य का एक प्रतिशत.*
57.	**अंतरण :–**	
	(क) धारा 8 द्वारा उपबंधित डिबेंचरों के सिवाय डिबेंचरों का, जो विपण्य प्रतिभूतियां है, चाहे शुल्क के लिये डिबेंचर दायी हो या न हो;	डिबेंचर का प्रतिफल रकम के प्रत्येक सौ रूपये या उसके भाग के लिये पचास पैसे.
	(ख) बंध–पत्र, बंधक–विलेख या बीमा पालिसी द्वारा प्रतिभूत किसी हित का;	अधिकतम *पांच सौ रूपये* के अध्यधीन रहते हुए, वही शुल्क जो हित की ऐसी रकम या मूल्य के बंध–पत्र (क्र.12) पर लगता है.
	(ग) महाप्रशासक अधिनियम, 1963 (1963 का 45) की धारा 22 के अधीन किसी संपत्ति का;	एक सौ रूपये.
	छूट :– पृष्ठांकन द्वारा अंतरण :– (क) जो विनिमय–पत्र, चैक या वचन–पत्र का है;	

	(ख) वहन–पत्र, परिदान आदेश, माल के लिये वारंट या माल पर हक की अन्य वाणिज्यिक दस्तावेज का है;	
	(ग) बीमा पालिसी का है;	
	(घ) केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों का है;	
58.	**पट्टे का अंतरण**, समनुदेशन द्वारा न कि उप पट्टे द्वारा;	वही शुल्क जो उस संपत्ति के जो अंतरण की विषय–वस्तु है, के बाजार मूल्य के हस्तांतरण–पत्र (क्र. 22) पर लगता है. **स्पष्टीकरण :–** किसी खनन पट्टे की समानुदेशन की दशा में बाजार मूल्य समानुदेशित पट्टे की कालावधि का ध्यान रखते हुए अनुच्छेद 33 के अधीन संगणित की गई रकम या मूल्य के बराबर होगा.
	छूट :–	
	शुल्क से छूट प्राप्त किसी पट्टे का अंतरण;	
59.	**न्यास :–**	
	क – की घोषणा –	
	किसी संपत्ति की या उसके बारे में जब कि वसीयत से भिन्न लिखित रूप में की गई हो –	
	(क) जहां संपत्ति का व्ययन हो;	वही शुल्क जो व्यवस्थापित संपत्ति के बाजार मूल्य के बंध–पत्र (क्र.12) पर लगता है.
	(ख) किसी अन्य मामले में;	पांच सौ रूपये
	ख – का प्रतिसंहरण –	
	किसी संपत्ति का या उसके बारे में जबकि वह वसीयत से भिन्न किसी लिखत के रूप में किया गया हो;	पांच सौ रूपये.
60.	**माल के लिये वारंट,** अर्थात् ऐसी कोई लिखत, जो उसमें नामित किसी व्यक्ति के या उसके समनुदेशितियों के या उसके धारक के उस माल में की संपत्ति के हक का साक्ष्य है जो किसी डाक, भण्डागार या बाट में या उस पर पड़े है, जबकि ऐसी लिखत ऐसे व्यक्ति द्वारा या उसकी और से जिसकी अभिरक्षा में ऐसा माल है, हस्ताक्षरित या प्रमाणित की गई है;	*दस रूपये.*